



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 24, बुधवार, शाके 1932—सितम्बर 15, 2010
Bhadra 24, Wednesday, Saka 1932—September 15, 2010

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप—2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2010

संख्या प. 2 (27) विधि/2/2010.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 16)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई)

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 31 का संशोधन.—जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 31 में,—

(क) उप—धारा (1) में,—

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसे

साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पंद्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।";

(ग) उप-धारा (2) में,—

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(घ) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-
"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पंद्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।"

3. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 32 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(क) उप-धारा (7) में,—

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ख) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पंद्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।"

4. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 33 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

(क) उप-धारा (2) में,—

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जावेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसे साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ख) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पंद्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।”।

5. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 34—क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 34 के पश्चात् और विद्यमान धारा 35 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“ 34—क. अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति.—(1) प्राधिकरण, धारा 32 या धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी भी विकास को हटाने या बन्द करने के लिए आदेश देने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे विकास की प्रकृति और विस्तार के बारे में किसी भी विवाद का निवारण करने के लिए ऐसे विकास को विहित रीति से सील किये जाने का निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा।

(2) जहां किसी विकास को सील कर दिया गया हो, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे विकास को हटाने या बन्द करने के प्रयोजन के लिए उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को निम्नलिखित के सिवाय नहीं हटायेगा,—

(क) उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश के अधीन; या

(ख) अधिकरण के किसी आदेश के अधीन।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।”।

6. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में धारा 37-क और 37-ख का जोड़ा जाना.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 37 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:—

“37-क. वर्षा जल संग्रहण का उपबंध.—(1) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 16) के प्रारंभ के पश्चात् जयपुर क्षेत्र में तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक के भू-खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में, ऐसे प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए विहित की जाये, स्थापित करना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा:

परन्तु यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली की स्थापना करना उचित नहीं है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन विकास के लिए अपेक्षित कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि स्थल योजना और नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के लिए व्यवस्था न की गयी हो और अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति ऐसी प्रणाली स्थापित करने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली उस भवन में स्थापित कर ली गयी है और वह चालू हालत में है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जयपुर क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय

प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'वर्षा जल संग्रहण प्रणाली' से, छत के ऊपर की संरचना और भूमिगत टैंक को सम्मिलित करते हुए, या तो घरेलू उपयोग के लिए या भूमिगत जल का पुनर्भरण करने के प्रयोजन के लिए भूमि में अंतःस्रवण के लिए, वर्षा जल एकत्र करने हेतु संनिर्मित या स्थापित कोई संरचना या साधित्र, या दोनों अभिप्रेत हैं।

37-ख. पार्किंग स्थान का उपबंध.—(1) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 16) के प्रारंभ के पश्चात् जयपुर क्षेत्र में संनिर्मित प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये:

परन्तु राज्य सरकार, भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी भवन या भवनों के वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन विकास के लिए अपेक्षित कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि स्थल योजना और नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान के लिए व्यवस्था न की गयी हो, और अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा

जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान उस भवन में उपलब्ध करा दिया गया है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जयपुर क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी, उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।”।

7. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 72 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 72 में,—

(क) उप-धारा (1) में,—

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति “एक मास” जहां कहीं भी आई हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति “एक वर्ष”; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “एक लाख रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा” प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (ग) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुमाने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुमाने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (घ) उप-धारा (14) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुमाने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुमाने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 93-क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 93 के पश्चात् और विद्यमान धारा 94 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

" 93-क. अभिलेख मंगाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या अधिकारी द्वारा पारित या पारित किये गये समझे गये किसी आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा करने में निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिए कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या संकल्प से संबंधित कोई भी अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और समितियों पर आबद्धकर होगा।”।

कपिल भार्गव,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 15, 2010

No. F. 2 (27) Vidhi/2/2010.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Jaipur Vikas Pradhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 16) :—

**(Authorised English Translation)
THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(AMENDMENT) ACT, 2010
(Act No. 16 of 2010)**

**[Received the assent of the Governor on the 13th day of
September, 2010]**

An

Act

further to amend the Jaipur Development Authority Act, 1982.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Jaipur Development Authority (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- In section 31 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

- (i) for the existing expression "with fine which may extend to five thousand rupees", the expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees" shall be substituted;
- (ii) for the existing expression "one hundred", the expression "five hundred" shall be substituted; and
- (iii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(b) after existing sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days.";

(c) in sub-section (2), -

- (i) for the existing expression "with fine which may extend to two thousand rupees", the expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine

which shall not be less than five thousand rupees" shall be substituted;

(ii) for the existing expression "five hundred", the expression "one thousand" shall be substituted; and

(iii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted ; and

(d) after existing sub-section (2), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days."

3. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- In section 32 of the principal Act,-

(a) in sub-section (7),-

(i) for the existing expression "with fine which may extend to five thousand rupees", the expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees" shall be substituted;

(ii) for the existing expression "five hundred", the expression "twenty five thousand" shall be substituted; and

(iii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted ; and

- (b) after existing sub-section (7), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days."

4. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- In section 33 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (2),-

- (i) for the existing expression "with fine which may extend to five thousand", the expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than thirty thousand rupees" shall be substituted; and

- (ii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted ; and

- (b) after existing sub-section (2), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days."

5. Insertion of new section 34-A, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 34 and before the existing section 35 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"34-A. Power to seal unauthorized Development.-

(1) The Authority may, at any time before or after making an order for the removal or discontinuance of any development under section 32 or section 33 or section 34, make an order directing the sealing of such development in the prescribed manner, for the purposes of carrying out the provisions of this Act, or for preventing any dispute as to the nature and extent of such Development.

(2) Where any development has been sealed, the Authority or the officer authorized by it in this behalf may for the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed.

(3) No Person shall remove such seal except,-

- (a) under an order of the Authority or the officer authorized under sub-section (2); or
- (b) under an order of the Tribunal.

(4) Any person who contravenes the provisions of sub-section (3) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to twenty five thousand rupees."

6. Addition of sections 37-A and 37-B, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 37 of the principal Act, the following new sections shall be added, namely:-

"37-A. Provision of rain water harvesting.- (1) In every building constructed on a plot of land exceeding three hundred square metres in Jaipur region after the commencement of the Jaipur Development Authority (Amendment) Act, 2010 (Act No. 16 of 2010), it shall be compulsory to install a rain water harvesting system of such type and specifications as may be prescribed by the State Government having regard to the area and use of the land and keep such system always in working condition:

Provided that if the State Government, having regard to the ground water level in a particular area, is of the opinion that installation of rain water harvesting system

in such area is not appropriate, it may, by notification in the Official Gazette, exempt such area from the operation of the provisions of this section.

(2) The Authority shall not grant any permission for development required under the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder unless provision for rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been made in the site plan and maps and the person seeking permission undertakes to install such system and furnishes security for the same to the satisfaction of the Authority.

(3) Every owner of the building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that a rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been installed in the building and is operational.

(5) Any development of land in Jaipur region made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.

Explanation.- For the purposes of this section, 'rain water harvesting system' means any structure or apparatus or both, including roof top structure and under ground tank, constructed or installed to collect rain water either for domestic use or for percolation into earth for the purpose of recharging ground water.

37-B. Provision of parking space.- (1) In every building constructed in Jaipur region after the commencement of the Jaipur Development Authority (Amendment) Act, 2010 (Act No. 16 of 2010), it shall be compulsory to provide such parking space as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, having regard to the area of land and situation and use of building, exempt, by notification in the Official Gazette, any building or class of buildings from the provisions of this section.

(2) The Authority shall not grant any permission for development required under the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder unless provision for parking space as prescribed under sub-section (1) has been made in the site plan and maps and the person seeking permission undertakes to provide such parking space and furnishes security for the same to the satisfaction of the Authority.

(3) Every owner of the building, for which provision of parking space is compulsory under the

provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that parking space as prescribed under sub-section (1) has been provided in the building.

(5) Any development of land in Jaipur region made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both."

7. Amendment of section 72, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- In section 72 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) for the existing expression "one month", wherever occurring, the expression "one year"; and

- (ii) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "one Lakh rupees" shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), for the existing expression "one month or with fine which may extend to two thousand rupees", the expression "one year or with fine which may extend to five thousand rupees" shall be substituted;
- (c) in sub-section (4), for the existing expression "six months or with fine which may extend to ten thousand rupees", the expression "one year or with fine which may extend to twenty five thousand rupees" shall be substituted; and
- (d) in sub-section (14), for the existing expression "one month or with fine which may extend to one thousand rupees", the expression "one year or with fine which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.

8. Insertion of new section 93-A, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 93 and before the existing section 94 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"93-A. Power to call for records.-(1) The State Government or any officer not below the rank of the Secretary to the Government authorized in this behalf by the State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed, under this Act by the Authority or any committee or officer of it, call for the relevant record, and may, in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such

examination by the State Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under subsection (2) :

Provided that no record relating to an order or a resolution shall be called for under this subsection after the expiry of three years from the date of such order or resolution.

(2) After examining the record, the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Authority and on its officers and committees."

कपिल भार्गव,

Principal Secretary to the Government.